राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– संस्था/चि0अ0/एटी/प041/15/ 341 **दिनांकः–** 12/05/15

–: आदेश :–

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से वर्ष 2015 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप चयनित पात्र अभ्यार्थियों को निदेशालय के आदेश कमांक 139 दिनांक 19.03.15 के द्वारा नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार आदेश जारी होने कि दिनांक के भीतर–भीतर नव नियुक्ति स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। चिकित्सक के उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से नियुक्ति तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक तक कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पदस्थापन स्थान	अभिवृद्धि का कारण	कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि की दिनांक
1.	डॉ0 अनुराग बारेठ चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झीरी धौलपुर	पीजी अध्ययनरत	30.06.2015

यदि चिकित्सक द्वारा पूर्व में नियुक्ति आदेशों की पालना में कार्यग्रहण कर लिया गया है तो उक्त कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि आदेश को निरस्त माना जावे।

निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नही करने पर इनके नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे। नियुक्ति आदेश में अंकित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित/नियंत्रण अधिकारी।
6. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।